भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोका रोड, नई दिल्ली- 110001

सं. 3/4/आई.डी./2016/एसडीआर/खण्ड-। दिनांक- 2 फरवरी, 2016

आदेश

1. यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 61 में यह उपबंधित है कि निर्वाचकों के प्रतिरूपण का निवारण करने की दृष्टि से उक्त अधिनियम की धारा 62 के अधीन वास्तविक निर्वाचकों को उनके मत देने के अधिकार को और अधिक प्रभावी बनाया जा सके, उक्त अधिनियम के अधीन नियमों द्वारा मतदान के समय निर्वाचकों की पहचान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से निर्वाचकों के लिए निर्वाचक फोटो पहचान पत्र के प्रयोग हेतु नियमों के द्वारा उपबंधों को बनाया जा सकता है तथा

2. यतः, निर्वाचकों का रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 को नियम 28 निर्वाचन आयोग को, इस दृष्टि से कि निर्वाचकों के प्रतिरूपण का निवारण हो सके तथा मतदान के समय उनकी पहचान को सरल बनाया जा सके। निर्वाचकों को राज्य की लागत पर फोटोयुक्त निर्वाचक फोटो पहचान पत्र जारी करने के लिए निर्देश देने की शक्ति प्रदान करता है, तथा

3. यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 49ज(3) तथा 49ट(2)(ख) में यह अनुबंधित है कि जहां किसी निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचकों का निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के नियम 28 के उक्त उपबंधों के अधीन निर्वाचक फोटो पहचान पत्र दिये जाते हैं, निर्वाचकों को मतदान केन्द्र में अपना निर्वाचक फोटो पहचान पत्र दिखाना होगा तथा उनके द्वारा निर्वाचक फोटो पहचान पत्रों को नहीं दिखाए जाने व असमर्थ होने पर उन्हें मत डालने की अनुमति देने से इनकार किया जा सकता है, तथा

4. यतः, उक्त अधिनियम तथा नियमों के उपर्युक्त उपबंधों को मिलाकर एवं सामंजस्यपूर्ण ढंग से उनके अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि यद्यपि मत देने का अधिकार निर्वाचक नामावली में नाम के होने पर ही होता है, यह निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य की लागत पर, मतदान के समय उनकी पहचान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रदान करवाए गए निर्वाचक फोटो पहचान पत्र के प्रयोग पर भी निर्भर करता है, तथा दोनों को एक साथ प्रयोग करना होता है,

5. यतः, निर्वाचन आयोग ने समयबद्ध योजना के अनुसार सभी निर्वाचकों को निर्वाचक फोटो पहचान पत्र (ईपीआईसी) जारी करने के निर्देश देते हुए दिनांक 28 अगस्त, 1993 को एक आदेश जारी किया है, तथा

6. यतः, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, तेलगांना, महाराष्ट्र, पंजाब और त्रिपुरा राज्यों के निर्वाचकों को काफी हद तक उच्च प्रतिशत में निर्वाचक फोटो पहचान पत्र जारी किए जा चुके हैं, तथा

7. यतः, इसके अलावा, आयोग ने यह आदेश दिया है कि वर्तमान उप-निर्वाचनों की मतदान तिथि से पूर्व मतदाताओं को **"प्रमाणिक फोटो मतदाता पर्ची"** बांटी जाएगी,

8. अतः, अब सभी संबद्ध घटकों तथा विधिक एवं तथ्यात्मक स्थितियों को ध्यान में रखते हुए, निर्वाचन आयोग, एतद्द्वारा, यह निदेश देता है कि 20-01-2016 को अधिसूचित **उत्तर प्रदेश के 14-मुजफ्फर नगर, 274-बीकापुर एंव 5-देवबन्द विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों, कर्नाटक के 56-देवदुर्ग (अ.ज.जा.), 50-बीदर एंव 158-हेब्बल विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों, तेलगांना के 35-नारायणखेड विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, मध्य प्रदेश के 65-मैहर विधान सभा क्षेत्र, महाराष्ट्र के 130-पालघर (अ.ज.जा.) विधान सभा क्षेत्र, पंजाब के 24-खाडूर साहिब विधान सभा क्षेत्र, बिहार के 31-हरलाखी विधान सभा क्षेत्र** और **त्रिपुरा के 42-अमरपुर के विधान सभा क्षेत्र** के उप-निर्वाचनों के लिए सभी मतदाता जिन्हें निर्वाचक फोटो पहचान पत्र जारी किए गए हैं, मतदान स्थल पर मत डालनें से पहले पहचान सुनिश्चित करने हेतु अपना निर्वाचक फोटो पहचान पत्र दिखाएंगे । ऐसे

निर्वाचक जो अपना निर्वाचक फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, उन्हें अपनी पहचान स्थापित करने के लिए निम्नलिखित वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत करना होगाः-

I. पासपोर्ट
II. ड्राइविंग लाइसेंस
III. राज्य/केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/ पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र
IV. बैंकों/ डाकघरों द्वारा जारी किए गए फोटोयुक्त पासबुक
V. पैन कार्ड
VI. आरजीआई एवं एनपीआर द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड
VII. मनरेगा जॉब कार्ड
VIII. श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड
IX. फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज,
X. निर्वाचन तंत्र द्वारा जारी प्रमाणिक फोटो मतदाता पर्ची, एवं
XI. सांसदों, विधायकों/विधान परिषद सद्स्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र ।

9. ईपीआईसी के संबंध में, लेखन अशुद्धि, वर्तनी की अशुद्धि इत्यादि को नजरअंदाज कर देना चाहिए बशर्ते मतदाता की पहचान ईपीआईसी से सुनिश्चित की जा सके। यदि कोई मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रदर्शित करता है, जो कि किसी अन्य सभा निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण ऑफिसर द्वारा जारी किया गया है, ऐसे ईपीआईसी भी पहचान स्थापित करने हेतु स्वीकृत किए जाएंगें बशर्ते निर्वाचक का नाम जहां वह मतदान करने आया है उस मतदान स्थल से संबंधित निर्वाचक नामावली में उपलब्ध होना चाहिए। यदि फोटोग्राफ इत्यादि के बेमेल होने के कारण मतदाता की पहचान सुनिश्चित करना संभंव न हो तब मतदाता को उपयुर्कत पैरा 8 में वर्णित किसी एक वैकल्पिक फोटो दस्तावेज को प्रस्तुत करना होगा।

10. उक्त पैरा 8 में किसी बात के होते हुए भी, प्रवासी निर्वाचक जो अपने पासपोर्ट में विवरणों के आधार पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20क के अधीन निर्वाचक नामावलियों में पंजीकृत हैं, उन्हें मतदान केन्द्र में उनके **केवल** मूल पासपोर्ट (तथा कोई अन्य पहचान दस्तावेज नहीं) के आधार पर ही पहचाना जाएगा ।

आदेश से,

अनुज जयपुरियार

(अनुज जयपुरियार)
सचिव

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashok Road, New Delhi-110 001

No. 3/4/ID/2016/SDR/Vol.I   Dated: 2nd February, 2016

To,

The Chief Electoral Officers of
1. Uttar Pradesh
2. Madhya Pradesh
3. Karnataka
4. Bihar
5. Telangana
6. Maharashtra
7. Punjab
8. Tripura

Subject:- Bye-Elections to the States Legislative Assemblies, 2016 – Commission's order regarding identification of electors.

Sir,

I am directed to enclose herewith Commission's Order dated 2nd February, 2016 regarding identification of electors at the current bye-elections to the States Legislative Assemblies notified on **20-01-2016(Wednesday)** from **14-Muzaffar Nagar, 274-Bikapur and 5-Deoband Assembly Constituencies in Uttar Pradesh, 56-Devadurga(ST), 50-Bidar, 158-Hebbal Assembly Constituencies in Karnataka, 35-Narayankhed Assembly Constituency in Telangana, 65-Maihar Assembly Constituency in Madhya Pradesh, 130-Palghar (ST) Assembly Constituency in Maharashtra, 24-Khadoor Sahib Assembly Constituency in Punjab, 31-Harlakhee Assembly Constituency in Bihar and 42-Amarpur Assembly Constituency in Tripura.**

2. The Commission has directed that all electors who have been issued EPIC have to produce the EPIC for their identification at the polling station before casting their votes. Those electors who are not able to produce the EPIC shall produce one of the alternative photo identity documents mentioned in paragraph 8 of the Order for establishing their identity.

3. As already directed in the Commission's letter No. 464/INST-VS/2014-EPS dated 21st March, 2014, Authenticated Photo Voter Slips shall be distributed to all electors before the poll day. On the day of poll one officer (BLO) will be on duty outside each polling station, during polling hours, with undistributed Photo Voter Slips, so that any elector who has not been issued Authenticated Photo Voter Slip, can collect their Authenticated Photo Voter Slip in original outside the polling stations. It shall be ensured that the officer with the undistributed photo voter slips sits at a facilitation desk set up at a conspicuous place outside the polling station. Banners/ Posters to convey this information in the local language should also be put at places which are easily visible.